फर्द अहकाम

पांचीदेवी बनाम प्यारेलाल

ACT

हावा-46/21

क आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	पत्रावली आज दिनांक 13/9/23 को पेश हुई वकील प्रार्थी- आवेदी / वादी- प्रतिवादी उपस्थित हुये। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब / कार्यवाही / प्रा.जवाब / ~~पेश कि तारीख के मुताबिक~~ कार्यवाही हेतु दिनांक 26/9/23 ... हो। सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय	
26/9/23	~~पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी गण। वकील वादी की ओर के जवाब वास्ते विड्डा लिये जाने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य रा.फैसला होने के कारण वाद की आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वादिया स्वयं गण। वादिया स्वयं अपनी अंगूठा निशानी आदेशिका पर अंकित की जिनकी पहचान वकील वादिया द्वारा की गई। अब स्वयं वादिया वाद को आगे नहीं चलाना चाहती है तो वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादिया का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद विड्डा से खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर डिक्री मेकर होकर दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज दिनांक 26/9/23 को सुनाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।~~ सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	पांचीदेवी R.A.-7 Rajkumar (राजकुमार) Adv. 26/9/23

Scanned with OKEN Scanner